FAX

# कार्यवृत्त

दिनांक 30 जनवरी, 2015 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्नक–क पर संलग्न है।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा अनुपालनार्थ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अनुपालनार्थ निम्नांकित निर्देश दिये गये :–

1. सभी अधिकारी अपने कार्य दायित्वों का स्वंय आत्म चिन्तन करें, कि जो कार्य उनको आंवटित हैं, उसके प्रति न्याय कर पा रहे हैं अथवा नहीं। यदि कोई कमी परिलक्षित होती है तो तत्काल अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करें। यदि नियमों की जानकारी के अभाव में किसी प्रकरण के निस्तारण में कठिनाई होती है तो अन्य स्तर पर विचार–विमर्श कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करें। जिससे अनावश्यक न्यायालयी वादों की स्थिति न बने। साथ ही सभी प्राचार्य डायटों द्वारा भी अपने दायित्वों का भली–भांति निर्वहन किया जाय चाहिये। डायट अपनी कार्य दायित्व की समीक्षा करते हुये जनपद स्तर पर शैक्षिक उन्नयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि गुणवत्तापरक कार्यों के साथ–साथ विभागीय छवि में सुधार किया जा सके।

**(कार्यवाही–समस्त मण्डल/जनपदीय/डायट प्राचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी)**

2. विद्यालयी शिक्षा विभाग की जो छवि समाज द्वारा अपेक्षित है, उसमें निरन्तर ह्रास होता हुआ प्रतीत होता है। विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी–कर्मी–शिक्षकों का यह दायित्व है कि अपने–अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करें ताकि गुणवत्तापरक कार्यों के साथ–साथ विभाग की छवि में सुधार किया जा सके।

**(कार्यवाही–समस्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा विभाग)**

3. मुख्य शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक सत्र 2015–16 हेतु विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव उपलब्धता एवं कौशल की कार्ययोजना 05 फरवरी 2014 तक प्रस्तुत करें तथा प्राथमिकता निर्धारित करते हुये कार्यों का श्रेणीकरण कर आवश्यकतानुरूप कार्य–योजना तैयार की जाय। वार्षिक कार्य योजना बनाने से पूर्व ब्लॉक स्तर पर बैठक आहूत की जाय तथा वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत शारीरिक एवं खेल–कूद गतिविधि, कौशल एवं अभिवृत्ति विकास गतिविधियों को समाहित किया जाय। वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तावों को तृतीय पक्ष से परीक्षण कराया जाय।

**(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी)**

4. बैठक में ज्वॉइन्ट मजिस्ट्रेट लक्सर श्री मंगलेश घिल्डियाल द्वारा ***अशिक्षा का दुश्चक्र एवं निवारण*** **मॉडल** प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों द्वारा अपनी कक्षा के सापेक्ष सामान्य हिन्दी पढ़ने एवं लिखने का कौशल अर्जित न कर पाने के कारण अन्य विषयों में भी अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने के फलस्वरूप वे अशिक्षा के दुश्चक्र में फंस जाते है। ज्वॉइन्ट मजिस्ट्रेट के मॉडल की सहराना करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत सर्वे को विभागीय स्तर पर सभी जनपदों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। नमूने की प्रति सभी अधिकारियों को शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी।

**(कार्यवाही–निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण)**

5. सभी अधिकारी विद्यालयों का नियमित रूप से मासिक व औचक निरीक्षण करें तथा निरीक्षण के समय वीडियोग्राफी भी करें, जिनका आगामी बैठकों में प्रदर्शन भी किया जायेगा।

**(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय/जनपदीय/खण्ड शिक्षा अधिकारी)**

6. यह देखने में आया है कि निर्माण सम्बन्धी कार्य को लम्बे समय से या तो आरम्भ नहीं किया गया है या अपूर्ण है। अतः ऐसे निर्माण कार्यों की औचित्यपूर्ण आख्या कि वह कार्य हो सकता है अथवा नहीं, सम्बन्धित परियोजनाओं/निदेशालयों को उपलब्ध करायें।

**(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी)**

7. दीर्घ समय से अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 यथासंशोधित 2010 में उल्लिखित प्रावधानानुसार तीन दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये महानिदेशालय को अवगत कराया जाय। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित अधिकारी की स्वयनिष्ठा संदिग्ध मानते हुये उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

**(कार्यवाही–समस्त नियुक्ति अधिकारी, शिक्षा विभाग)**

8. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये 18 वर्ष की आयु तक के छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाय एवं कुपोषित बच्चों को उच्च चिकित्सकीय केन्द्रों पर समुचित इलाज कराया जाय। इस हेतु विद्यालय स्तर पर, जनपद स्तर पर एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुये स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से डायट स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाय।

**(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त प्राचार्य डायट)**

9. प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा की जायेगी। बी0आर0सी0/सी0आर0सी0/बी0ई0ओ0/जिला समन्वयक विद्यालयों का आकादमिक अनुश्रवण भी करें तथा डायट द्वारा उनके कार्यदायित्वों की मासिक समीक्षा की जाय। कार्यदायित्वों के प्रति शिथिलता/अकुशलता पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षकों–अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रविष्टि हेतु संस्तुति की जाय। उपरोक्त कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मासिक बैठकों में की जायेगी।

**(कार्यवाही–समस्त प्राचार्य डायट/बी0आर0सी0/सी0आर0सी0/बी0ई0ओ0/जिला समन्वयक)**

10. लीगल पोर्टल के अन्तर्गत प्रकरणों की प्रविष्टि का नियमित अनुश्रवण किया जाय तथा कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन (Complience) की तत्काल पोर्टल में पूर्ण इन्ट्री करते हुये समय–समय पर समीक्षा करें तथा निर्धारित समयान्तर्गत वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। प्रतिशपथ पत्र पूर्णतः शासनादेशों, नियमों एवं निर्देशों के आलोक में तैयार किया जाय। राज्य स्तर पर न्यायालयी वादों की अधिकता के दृष्टिगत अधिवक्ताओं/विधि विशेषज्ञों की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। विधिक कार्यों में शिथिलता दृष्टिगत होने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

**(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय/जनपदीय शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक (वाद) मा0शि0निदेशालय)**

11. राज्य को दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष इंस्पायर आवार्ड के लिये छात्रों का चयन नहीं हो पाया है। अतः इंस्पायर आवार्ड व नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कालरशिप व अन्य छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाय, जिससे छात्रों में विभिन्न छात्रवृत्तियों के प्रति जागरूकता/उत्सुकता रहे। छात्रों को उपलब्ध करायी जा रही छात्रवृत्तियों की स्थिति एवं उनका समुचित लाभ छात्रों तक सुनिश्चित किये जाने हेतु मासिक समीक्षा की जाय। इस हेतु व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

**(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी)**

12. प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु प्राथमिक शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या अंकित की जाय। शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करते हुये डायट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

**(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी)**

13. विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मियों/शिक्षकों को समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। साथ ही महानिदेशालय के पत्र संख्या–8957–90/23(1)–चौदह/2014–15 दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सूचना सम्बन्धित निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी)**

14. निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विशलेषण किया जाय एवं निर्माण कार्यो का निरीक्षण करते हुये विडियोग्राफी भी की जाय। विभाग के अन्तर्गत जिन–जिन निर्माण एजेन्सियों द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, की राज्य स्तर पर तत्काल एक बैठक आहूत की जाय।

**(कार्यवाही–सर्व शिक्षा/रमसा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)**

15. विद्यालयों में पीने योग्य पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाय। छात्र–छात्राओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाय। इस हेतु एन.आर.डी.डब्लू.पी. तथा अन्य योजनाओं से भी व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यताही की जाय। विद्यालयों में पेयजल संयोजन का अनुमानित आगणन तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

**(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी।)**

16. विद्यालयों में चलाये जा रहे आकस्मिक निरीक्षणों में जिस विकास खण्ड में बार–बार अधिक शिक्षक अनुपस्थित पाये जायेंगे, सम्बन्धित बी0आर0सी0 / सी0आर0सी0 एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाय।

**(कार्यवाही–माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय)**

17. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर, हरिद्वार के कक्ष निर्माण में निम्न गुणवत्ता पाई गई है। फलस्वरूप जबतक सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता में सुधार / कमियों का निराकरण नहीं किया जाता, तबतक कार्यदायी संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा।

**(कार्यवाही–मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार)**

18. समस्त विभागीय अधिकारी–कर्मी–शिक्षक अपने सेवा सम्बन्धी किसी भी आवेदन पत्र को उचित माध्यम से अग्रसारण के उपरान्त निदेशालय / महानिदेशालय को प्रेषित करें, सीधे प्राप्त किये गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उच्चाधिकारियों से मिलने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक / कार्मिक, सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मिलने आयें।

**(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय / जनपदीय शिक्षा अधिकारी)**

ह0 / –
**(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)**
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. : 9249-93/3 /23(10)–चार / 2015 दिनांक 02 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
7. अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
11. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
12. संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
16. समस्त प्राचार्य डायट, उत्तराखण्ड।
17. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)

**(वी.एस. रावत)**
संयुक्त निदेशक
महानिदेशालय
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

## संलग्नक–क

दिनांक 30 जनवरी, 2015 को सर्व शिक्षा अभियान के सभागार में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नवत है:–

1. श्रीमती सीमा जौनसारी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. डॉ0 कुसुम पन्त, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
3. श्री नरेन्द्र कुमार बहुगुणा, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. श्री राम कृष्ण उनियाल, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. श्रीमती सुषमा सिंह, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल।
6. श्री वी.एस. रावत, संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा।
7. श्री जयबीर सिंह बिष्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
8. श्री पदमेन्द्र बिष्ट, संयुक्त निदेशक, एम.डी.एम.।
9. श्री अम्बादत्त बलोदी, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
10. श्री गजेन्द्र सिंह सोन, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
11. श्री सत्यनारायण, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
12. श्री वी.के. ढौंडियाल, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. श्री अत्रेय सायाना, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. श्री आनन्द भारद्वाज, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
15. श्री जितेन्द्र सक्सेना, उप निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
16. श्री चन्दन सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
17. श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
18. श्री चन्द्रपाल सिंह राणा, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
19. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
20. श्री अशोक जुकारिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
21. श्री ए.के. सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
22. श्री रघुनाथ लाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
23. डॉ0 नीता तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊ.सिं.न.।
24. श्री एस.पी. खाली, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
25. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
26. श्री एल.डी. ब्यास, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी।
27. श्री डी.सी. गौड़, मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
28. श्री जय प्रकाश यादव, मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
29. श्री शैकत अली, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
30. श्री हीरालाल गौतम, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा बागेश्वर।
31. श्री के.के. वार्ष्णेय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊ.सिं.न.।
32. श्री पदमेन्द्र सकलानी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून।।
33. श्री अशोक कुमार गुसांई, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली।
34. श्री राय साहब यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।
35. श्री जगमोहन सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
36. श्री एस.पी. सेमवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।
37. श्री के.एस. रावत, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी।
38. श्री रामेन्द्र कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा पिथौरागढ़।
39. श्री कैलाश चन्द्र शाक्य, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत।
40. डॉ0 पी.एन. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पिथौरागढ़।
41. श्री चित्रानन्द काला, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून।
42. श्री आशुतोष भण्डारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चमोली।
43. श्री चेतन प्रसाद नौटियाल जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उत्तरकाशी
44. श्री वी.एस. चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हरिद्वार।
45. श्री अतुल सेमवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टिहरी।
46. डॉ0 राजेन्द्र सिंह, प्राचार्य, डायट डीडीहाट, पिथौरागढ़।
47. श्री डी.सी. सती, डायट प्राचार्य, अल्मोड़ा।
48. श्री श्याम लाल आर्य, प्राचार्य डायट बागेश्वर।
49. श्री विनोद कुमार टम्टा, प्राचार्य, डायट ऊ.सिं.न.।
50. श्री डी.एल. शाह, प्राचार्य डायट उत्तरकाशी।
51. श्रीमती शशिबाला चौधरी, प्राचार्य डायट रूड़की, हरिद्वार।
52. श्री ललित मोहन चमोला, प्राचार्य डायट पौड़ी।